प्रपत्र 12

एकीकृत पोषण एवं स्वास्थ्य परियोजना के प्रभावी अभ्यासो का विस्तार 2008, छत्तीसगढ़

पोषण एवं स्वाथ्य दिवस प्रक्रिया, गृह भेट प्रक्रिया

व्यवस्थित पोषण एवं स्वाथ्य दिवस आयोजित करने की प्रक्रिया

आंगन बाड़ी कार्यकर्ता द्वारा व्यवस्थित गृह भेंट करने की प्रक्रिया

''आंगन बाड़ी हेतु मार्गदर्शिका''

care केयर इण्डिया, छत्तीसगढ़

USAID

Printed With Support from FANTA

शीर्षक : स्वास्थ्य व पोषण दिवस प्रकिया

उद्देश्य : एकीकृत महिला बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक नियत तिथि को नियत स्थान पर पूरक पोषण आहार तथा स्वास्थ्य जैसी दोनो सेवायें एकसाथ उपलब्ध कराने की प्रकिया प्रारंभ करना

लक्ष्य : इसके माध्यम से गर्भवती एवं पोषक महिलाओं,तीन वर्ष तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं तथा विशेष कर सामाजिक रूप से उपेक्षित समुदायों को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं दी जाती है जो आंगनवाडी के सर्वेक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं

उत्तरदायित्व : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सिताानिन,पर्यवेक्षक

प्रकिया	क्या करना है.	नियंत्रण	उत्तरदायित्व	संदर्भ अभिलेख
1	सूखा राशन वितरण, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने के लिये विकासखंड चिकित्साधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी को संयुक्त कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देश जारी करना ।	स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की शुरूआत	जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी	निर्देश पत्र
2	खण्ड चिकित्सा अधिकारी से एएनएम रोस्टर प्राप्त कर पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराना जिसके आधार पर पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन प्रत्येक आंगनवाडी के लिए निर्धारित किए जा सकें	रोस्टर प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर, एएनएम की पदस्थापना संबंधी कोई परिवर्तन होने पर	परियोजना अधिकारी	

3	आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के साथ एएनएम रोस्टर के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण कर अनुमोदन हेतु परियोजना अधिकारी को भेजें।	सभी आंगनबाडी केन्द्रों को शामिल करें प्रत्येक आंगनबाडी के लिए प्रतिमाह एक पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस एक निर्धारित दिन पर	पर्यवेक्षक	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस कार्ययोजना
4	स्वीकृत पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस कार्ययोजना की प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, पर्यवेक्षक तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों को भेजना	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के 7 दिनों के भीतर	बाल विकास परियोजना अधिकारी	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस कार्ययोजना
5	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य व पोषण दिवस हेतु निर्धारित दिन एवं दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन आदि जगहों पर प्रदर्शित करे ।	सूचना प्राप्ति के तुरंत पश्चात	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
6	अपडेट किये हुये जन्म एवं सर्वे पंजी के आधार पर टीकाकरण रजिस्टर तथा गर्भवती/धात्री माताओं की	स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के कम से कम 3 दिन	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	गर्भवती/ धात्री माताओं की उपस्थिति

	उपस्थिति रजिस्टर को अपडेट करना	पहले		रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर
7	गांव का पूरा भ्रमण करें, जिसमें सभी परिवारों,मोहल्लों एवं उपेक्षित समुदायों को भी भेंट दे कर सभी गर्भवती,धात्री एवं किशोरी बालिकाओं,6 वर्ष तक के बच्चों का पता लगा कर सर्वे पंजी,उपस्थिति पंजी को अद्यतन करें।	तीन माह में एक बार	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सामाजिक मानचित्र
8	अपडेट किये हुये टीकाकरण रजिस्टर तथा गर्भवती/धात्री माताओं की उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर टीकाकरण हेतु हितग्राहियों की सूची बनाना	सभी योग्य हितग्राहियों को शामिल करें; स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पहले	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	टीकाकरण हेतु शेष सूची
9	गृहसंपर्क रजिस्टर तथा समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे हितग्राहियों की सूची तैयार करना जिन्हे स्वास्थ्य व पोषण दिवस के दिन एएनएम के द्वारा तुरंत ध्यान देने की जरूरत हो	स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पहले	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	गृहभेंट पंजी
10	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के माध्यम से टीकाकरण हेतु पात्र हितग्राहियों को सूचना देवे। इस हेतु कोटवार या मितानिन	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस से एक दिन पूर्व	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	शेष सूची एवं एएनएम ध्यानाकर्षण सूची

	की सहायता भी ली जा सकती है। इसके साथ ही शेष सूची के आधार पर हितग्राहियों से व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जावें।			
11	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा न्यूनतम मानदण्डों के अनुसार खाद्यान्न की व्यवस्थित जानकारी रखना	माह के शुरूआत में आंगनबाड़ी केन्द्र में कम से कम एक माह के लिये खाद्यान्न होना चाहिये	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / बाल विकास परियोजना अधिकारी (स्वसहायता समूहों को राशि जारी करने हेतु)	खाद्यान्न रिपोर्ट और स्टाक रजिस्टर (महतारी पंचायत के अनुसार)
12	सूखा राशन वितरण के पश्चात अगले पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खाद्य आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता की जांच करना	सूखा राशन वितरण हेतु पंजिकृत हितग्राही	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी केन्द्र खाद्यान्न रिपोर्ट (फार्म–1)
13	खाद्यान्न की अनुपलब्धता की स्थिति में कितना खाद्यान्न आवश्यक है उसके आधार पर मांगपत्र बनाकर स्वसहायता समूह और पर्यवेक्षक के पास भेजना ताकि खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.	स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक सप्ताह पूर्व	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	मांग पत्र
14	ए.एन.एम. टीकाकरण रजिस्टर के आधार पर तैयार किये गये शेष सूची के आधार पर	स्वास्थ्य व पोषण दिवस की सुबह	ए.एन.एम.	शेष सूची

	वेक्सीन तथा स्वास्थ्य आपुर्ति की आवश्यकता मालूम करे एवं संबंधित टीकाकरण डिपो को मांग पत्र प्रस्तुत करे.	एएनएम स्वयं वेक्सीन लेकर जाये या मोबिलिटी सपोर्टर की सहायता से एक दिन पहले ले जाया जाये.		
15	वेक्सीन इचार्ज विभिन्न मानदण्डों के आधार पर वेक्सीन की जांच करे (जैसे–एक्सपायरी दिनांक, प्रशीतन). निर्धारित उपायों के आधार पर वेक्सीन वाहक की व्यवस्था कर ए.एन.एम. के लिए भेजना	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस आयोजित स्थान तक ले जाने तथा भंडारण किये जाने वाली जगह पर वेक्सीन प्रोटोकाल(एक्सपायरी दिनांक एवं प्रशीतन श्रृंखला) का पालन	वेक्सीन इचार्ज एवं ए. एन.एम.	प्रशीतन श्रृंखला प्रबंधन हेतु आर.सी.एच. की मार्गदर्शिका प्रपत्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की परस्पर वेक्सीन डिलवरी मार्गदर्शिका.
16	यदि ए.एन.एम पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन प्रसव पूर्व जांच नही कर पाती है तो उसे चिन्हांकित हितग्राहियों के यहां गृह भेंट कर या किसी तय किये गये सामुदायिक	हर संभव पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के दिन आयोजित किया जाये	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम.	सर्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कार्ड

	भवन में जांच करना है.	जिसमें सभी हितग्राही शामिल किये जायें		
17	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के आयोजन में आंगनबाड़ी कर्यकर्ता गांव के जनप्रतिनिधियों, महिला स्वसहायता समूह, मितानिन तथा किशोरी बालिकाओं का सहयोग ले, खासकर शेष सूची के सभी हितग्राहियों को प्रेरित करने में, सूखा राशन वितरण में, व्यवस्था बनाये रखने तथा वास्तविक हितग्राहियों के स्थान पर परिवार के अन्य सदस्यों को दूर रखने में	समुदाय के कम से कम पांच अन्य सदस्यों जिनका पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस दिवस में सहयोग लिया जाये	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	शेष सूची
18	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस में कार्यक्रम इस क्रम में आयोजित किये जायें–टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, सूखा राशन वितरण के साथ परामर्श, बच्चों का वजन	सभी हितग्राहियों को योजना के अनुसार टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच व सूखा राशन वितरण	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / ए. एन.एम.	सूखा राशन के हितग्राहियों के संदर्भ हेतु प्रसव पूर्व जांच मार्गदर्शिका टीकाकरण मार्गदर्शिका (नियमित टीकाकरण तथा प्रसव पूर्व जांच हेतु आर. सी.एच. की मानक प्रक्रिया के तहत).

				राशन वितरण हेतु आई.सी.डी.एस. की मार्गदर्शिका . शेष सूची, गर्भ पंजी, एवं 6 से 23 माह के बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर
19	1) ए.एन.एम द्वारा प्रत्येक हितग्राही के टीकाकरण के तुरंत पश्चात शेष सूची तथा टीकाकरण कार्ड को अपडेट करना. 2) प्रत्येक हितग्राही जिनकी प्रसव पूर्व जांच हो चुकी है, ए.एन.एम उनका नाम लिखे तथा टीकाकरण कार्ड को भरे. 3) प्रत्येक हितग्राही जिन्हे सूखा राशन मिल गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थिति रजिस्टर में उनके नाम के आगे टिक चिन्ह लगाये.	1) प्रसव पूर्व जांच तथा टीकाकरण के तुरंत पश्चात टीकाकरण कार्ड को अपडेट करना. 2) केवल उन्ही हितग्राहियों को चिन्हांकित करना जिन्होने पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस में भाग लिया	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम.	गर्भवती एवं धात्री माताओं और 6 से 36 माह के बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर तथा शेष सूची
20	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हितग्राहियो की उपस्थिति की समीक्षा करे पता लगाये कि वे कौन कौन से लोग है जिन्होने सेवा प्राप्त नही की है, तथा सहायिका/मितानिन को निर्देशित करे कि वे हितग्राहियों के घर जाकर उन्हे याद दिलाये कि उन्हे	ए.एन.एम के जाने से पहले प्रसव पूर्व जांच तथा टीकाकरण से छूट गये सभी हितग्राहियों को फिर से सूचित करना.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका	शेष सूची . ध्यान देने योग्य सूची सहित

	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम की सेवायें प्राप्त करना है.			
21	एएनएम द्वारा टीकाकरण व प्रसव पूर्व जांच के समय माताओं / परिवार के अन्य सदस्यों को गर्भवती की देखभाल तथा नवजात शिशु के स्तनपान संबंधी परामर्श देना	सभी पात्र हितग्राही	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम	सूचना संचार व व्यवहार परिवर्तन सामग्री
22	प्रत्येक सत्र के अंत में एएनएम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्पूर्ण शेषसूची के अनुसार टीकाकरण रजिस्टर को अपडेट करे.	कार्यक्रम समाप्ति के पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम के टीकाकरण रजिस्टर का उपडेट किया जाना	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम.	टीकाकरण रजिस्टर तथा चिन्हित की गई शेष सूची
23	अगले पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस के लिये छूट गये हितग्राहियों की सूची तैयार करना	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस की समाप्ती पर तुरन्त	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम.	टीकाकरण रजिस्टर, शेष सूची

References Directive

निर्देश

एएनएम रोस्टर

पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस कार्य योजना

गर्भवती, धात्री महिला रजिस्टर

टीकाकरण पंजी

शेष सूची

खाद्यान्न पंजी

शीत श्रृंखला संबंधी एवं वैक्सीन वितरण प्रणाली के दिशा निर्देश

गर्भवती की जांच एवं टीकाकरण संबंधी दिशा निर्देश

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम एवं राशन की मात्रा संबंधी दिशा निर्देश

टीकाकरण कार्ड

सूचना संचार एवं व्यवहार परिवर्तन सामग्री

शीर्षक : गृह भेंट

उद्देश्य : सीधे गृह संपर्क के द्वारा, गर्भवती, धात्री तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चो तथा उनके परिवार को उचित परामर्श देना तथा समुदाय के व्यवहार मे परिवर्तन लाना. इस दौरान किये जाने वाले कार्यों व प्रकिया को अवधमेंट करना ताकि जीवनचक्र के जोखिमपूर्ण समय में इनके स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति को, बेहतर बनाये रखा जा सके.

लक्ष्य : गर्भवती, धात्री तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा उनके परिवार

उत्तरदायित्व : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

प्रकिया	क्या करना है.	नियंत्रण	उत्तरदायित्व	संदर्भ	अभिलेख
1	अद्यतन(अपडेट) किये गये पंजी गर्भ, टीकाकरण व सर्वे पंजी के माध्यम से हितग्राहियों की जानकारी एकत्र कर गृहभेंट रजिस्टर तैयार करना	जब और जहा कोई परिवर्तन हो	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता		गृहभेंट रजिस्टर
2	गर्भवती तथा कुपोषित बच्चे तथा जीवनचक्र	गृह भेंट पंजी की सहायता से अधिक जोखिम	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता	अधिक जोखिमत्र,जीवनचक्र के संकटकाल	गृहभेंट रजिस्टर

	के संकट काल वाले घरो में प्रतिदिन गृह संपर्क करने हेतु प्राथमिकता तय करना	वाले तथा जीवनचक्र के संकटकाल वाली महिलाओं का वर्गीकरण		वाली महिलाओं का वर्गीकरण सम्पर्क की योजना बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रपत्र	
3	प्राथमिकता दिये जाने वाले घरों में ऐसे वक्त में संपर्क करना जब सास और पति की घर में रहने की संभावना ज्यादा हो	प्रतिदिन कम से कम 5 गृह संपर्क	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता		
4	दिन विशेष में गृह संपर्क के दौरान लाभार्थियों को उचित जानकारी देने हेतु सूचना संचार सामग्री को चिन्हित करना व एकत्र करना तथा साथ ले जाना।	लाभार्थियों से संबंधित उचित व सही सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता		
5	गृह भेंट करना व हितग्राही से संवाद स्थापित करना, उनके व्यवहार में आये	लाभार्थियों की प्राथमिकता तय करना, सूचना	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता	व्यवहार परिवर्तन हेतु परामर्श सामग्री	गृहभेंट रजिस्टर

	बदलाव को समझना तथा उसी के अनुरूप व्यवहार परिवर्तन संचार माध्यमों का उपयोग करते हुये मां, सास तथा उसके पति को परामर्श देना तथा अगले गृह भेंट से पूर्व गृहभेंट पंजी में दर्ज करें	शिक्षा, व संचार के अनुरूप सही व उचित संदेश सामग्री			
6	ऐसे परिवारों को चिन्हित करना जो स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अच्छे व्यवहारों पर अमल नहीं कर रहे हैं । ऐसे परिवारों को अच्छे स्वास्थ्य तथा सुपोषण के विभिन्न उपायों के बारे में परामर्श देने के लिए पुनः भेंट दें।	ऐसे परिवार जो व्यवहार परिवर्तन तथा सेवाओं को विरोध करते हैं.	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता	गृहभेंट रजिस्टर	
7	ऐसे परिवारों को गृहभेंट पेजी में	ऐसे परिवार	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता		गृहभेंट रजिस्टर,

	चिन्हित करें जो उपलब्ध सेवाओं को नही अपनाते है या विरोध करते है तथा जहां संयुक्त रूप(जनप्रतिनिधि, स्वसहायता समूह, पर्यवेक्षक, ए.एन.एम) से सम्पर्क की आवश्यकता है। ऐसे परिवारों के बारे में पर्यवेक्षक को सेक्टर मीटिंग में जानकारी दें।	जो व्यवहार परिवर्तन संबंधी परामर्श पर अमल नही करते तथा सेवाओं को स्वीकार नहीं करते।			
8	गृह भ्रमण के दौरान जोखिम वाले माताओं और बच्चों की रेफरल सेवा हेतु पहचान करना, आसानी से पहचानने के लिये गृहभेंट पंजी में चिन्हित करना तथा उसके लिये आवश्यक प्रबंध करना,	अधिक जोखिम वाले तथा जीवनचक्र के संकटकाल वाली महिलाओं का वर्गीकरण	आंगनबाड़ीकार्यकर्ता		गृहभेंट रजिस्टर

मुद्रक : छत्तीसगढ़ पैकेजर्स प्रा. लि., भिलाई
मो. 94252-35432